राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकःपं016(7)चिस्वा/2/11 जयपुर, दिनांक 19-11-2017

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

विषयः–राज्य के सेवारत चिकित्सकों द्वारा दिनांक 06.11.2017 को सामूहिक त्याग पत्र देने एवं कार्य के बहिष्कार करने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति में वैकल्पिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

सेवारत चिकित्सकों द्वारा सामुहिक त्याग पत्र देने एवं कार्य बहिष्कार के दृष्टिगत वैकल्पिक व्यवस्था हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है कि आप अपने स्तर पर जिले में सेवानिवृत्त चिकित्सक, एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सक, पी.जी.डिग्रीधारी चिकित्सक, जो राजकीय सेवा में नहीं है, को हड़ताल के दौरान दैनिक मानदेय पर रखकर आमजन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें। इस हेतु निम्नानुसार मानदेय निर्धारित किया जाता हैः–

1– एम.बी.बी.एस. डाक्टर को 3,000/–रूपये प्रतिदिन।
2– विशेषज्ञ चिकित्सक (एम.डी0/एम.एस./डिप्लोमा) को 4,000/– रूपये प्रतिदिन
3– रात्रिकालीन ड्यूटी पर 700/–रूपये प्रति ड्यूटी अतिरिक्त

उक्त चिकित्सक प्रातः 9.00 बजे से सम्बन्धित अस्पतालों में पी.एम.ओ./ इन्चार्ज को अपने डिग्री व रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ रिपोर्ट कर सीधे ही ड्यूटी ज्वाइन कर सकेंगे। इन्हें भुगतान प्रतिदिन के आधार पर आरएमआरएस के माध्यम से उसी दिन करा जाये। जिसका पुनर्भरण सरकार द्वारा कर दिया जावेगा। आपसे अपेक्षा है कि ऐसे समस्त डाक्टरों को चिन्हित कर उन्हें राजकीय चिकित्सालय में सेवा देने हेतु प्रेरित करें, ताकि आम–जन को आवश्यक चिकित्सा सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह व्यवस्था किसी भी स्वीकृत पद के विरूद्व नहीं मानी जावेगी तथा कार्य बहिष्कार (हड़ताल) समाप्ति पर यह व्यवस्था स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

उक्त आदेश वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 101705840 दिनांक 08.11.17 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2– निजी सचिव,मा0 मंत्री महोदय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3– उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4– निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5– समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6– समस्त संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,जोन
7– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
8– समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
9– प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करावें।
10– रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव